सं0 सं0–2/उ०नि०/वि (कृ0यं0नी0)–14–05/2014/............./ पटना, दिनांक............मई, 2015

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र निर्माता ईकाइयों के लिए पूंजीगत अनुदान एवं अन्य अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया।

Subject:- Procedure for Sanction of Capital Subsidy and other subsidies under Agricultural Equipment Manufacturing Unit Incentive Scheme.

राज्य में आधुनिक कृषि यंत्र ईकाइयों को विकसित करने, कृषि यांत्रिकीकरण के विस्तार, उन्नयन और मूल्यवर्द्धन के उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए राज्य में कृषि यंत्र निर्माता ईकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4092 दिनांक 24.09.2014 द्वारा कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. कृषि यंत्र निर्माता ईकाइयो को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अनुसार उत्पादन पूर्व (Pre-production) सुविधाओं में स्टाम्प डयूटी/ पंजीकरण तथा भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट एवं उत्पादन पश्चात् (Post production) सुविधाओं के अन्तर्गत परियोजना प्रतिवेदन/भू–खण्ड/शेड, तकनीकी जानकारी शुल्क/ नियोजन अनुदान/ कैप्टिव पावर प्लांट/ डी0 जी0 सेट/ गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की स्थापना पर देय प्रोत्साहन/ वैट प्रतिपूर्त्ति विद्युत से संबंधित प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया एवं आवेदन प्रपत्र वहीं होंगे जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2516 दिनांक 22.07.2011 तथा 2437, 2442, 2443, 2438, 2444, 2445, तथा 2446, दिनांक 15.07.2011 व अन्य निर्गत हैं।

3. इस नीति के प्रभावी होने के बाद उत्पादन में आए कृषि यंत्र निर्माण करने वाली नई औद्योगिक ईकाइयों को उनके द्वारा किए गए अचल पूँजी निवेश जिसमें कारखाना, भवन, मशीन प्लांट, विद्युतीकरण, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एफ्लूएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल पर किए गए पूँजी निवेश का 35% (पैंतिस) पूँजीगत अनुदान देय है। Micro. Small एवं Medium प्रक्षेत्र की ईकाइयों के लिए इस अनुदान की अधिकतम सीमा 5 (पाँच) करोड़ तथा वृहत् प्रक्षेत्र (Large Scale) के लिए अधिकतम सीमा 10 (दस) करोड़ देय है। पेटेन्ट प्राप्त कृषि यंत्रो के निर्माण के लिए स्थापित ईकाइयों को 50% की दर से पूँजीगत अनुदान देय है, जिसकी अधिकतम सीमा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के लिए 7.5 (साढ़े सात) करोड़ रूपए एवं वृहत् प्रक्षेत्र के लिए 15.00 (पन्द्रह) करोड़ रूपए है। यह सुविधा ईकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन में आने के बाद देय होगी।

4. विद्यमान ईकाइयों को भी अपनी क्षमता के विस्तार/ विशाखन एवं आधुनिकीकरण पर इन्क्रीमेंटल उत्पादन के लिए किए गए पूंजीनिवेश पर अनुदान देय होगा। विस्तार/ विशाखन एवं आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं शर्त्तें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 यथा संशोधित नीति 2014 के अनुसार होगी।

5. कृषि यंत्र निर्माता ईकाइयों के द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों का राज्य के अंदर कृषि विश्वविद्यालय से परीक्षण/ गुणवत्ता प्रमाणन कराने पर भुगतान किए गए शुल्क का 100% जबकि राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षण/गुणवत्ता प्रमाणन कराने पर भुगतान किए गए शुल्क का 90% राशि का भुगतान संबंधित संस्थान को किया जाएगा। संस्थान ईकाइयों से से लिए गए शुल्क उन्हें वापस कर देंगे। जो कृषि यंत्र परीक्षण में सफल नहीं होते हैं, उन्हें यह अनुदान देय नहीं होगा।

6. उपर्युक्त कंडिका 3 से 5 में अंकित अनुदानों को प्राप्त करने के लिए सभी पात्र ईकाइयाँ आवेदन प्रपत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में सभी वांछित कागजातों को स्व–अभिप्रमाणित कर संबंधित

क्रमशः पृष्ठ–2

[redacted]

महाप्रबंधक/ प्रबंध निदेशक, बियाडा को समर्पित करेंगे। इसके लिए प्रक्रिया वहीं होंगे जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2437, 2442, तथा 2443 दिनांक 15.07.2011 द्वारा निर्गत हैं, परन्तु अनुदान की स्वीकृति हेतु गठित समिति में इस योजना हेतु कृषि विभाग के भी प्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में नामित रहेंगे।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014/ 1779 पटना, दिनांक 13.5.15

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014-- 1779 पटना, दिनांक 13.5.15

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014– 1779 पटना, दिनांक 13.5.15

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/ निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ अध्यक्ष/बिहार इंडस्ट्रीज एशोसियशन/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/ सी०आई०आई०, बिहार शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014– 1779 पटना, दिनांक 13.5.15

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

उद्योग विभाग, बिहार, पटना। ज्ञापांक– 2/उ०नि०/वि (कृ०यं०नी०)–14–05/2014– 1779 पटना, दिनांक 13.5.15

प्रतिलिपिः– परिशिष्ट–I सहित आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पूँजीगत अनुदान हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

1. **प्रबंध निदेशक,**
   बियाडा, पटना।
2. **निदेशक,**
   तकनीकी विकास,
   उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
3. **महाप्रबंधक,**
   जिला उद्योग केन्द्र,....................

(क) आवेदक के ईकाई की विवरणीः—

(1) ईकाई का नाम/पता (दूरभाष नं0/ ई—मेल, यदि हो तो, के साथ):—

ईकाई का नामः—

पताः— कार्यालयः—

कार्यस्थलः—

(2) ईकाई के स्वत्वाधिकारी/साझेदारी/
निदेशक/प्रबंध निदेशक का नाम
एवं पूरा पताः—

(3) उद्यमी ज्ञापन—II सं0 एवं तिथिः—

(4) उत्पादित यंत्र का नामः—

(5) ईकाई की उत्पादन तिथिः—

(6) कंपनी निबंधन का विवरणः—
(स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न)

(7) कंपनी निबंधन के तहत कार्य संपन्न
करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनामः—
(प्राधिकार पत्र संलग्न)

(8) वैट/ सी0 एस0 टी0 निबंधन सं0 एवं तिथिः—

(9) कुल पूँजी निवेशः—

(i) भूमि—

(ii) भवन/शेड आदि—

(iii) संयंत्र एवं मशीनरी—

(iv) अन्य आधारभूत संरचना—

(v) कार्यशील पूँजी—

(10) निवेश के श्रोतः—

(11) ईकाई का उत्पादन वंचित सूची (परिशिष्ट—থ) में शामिल है अथवा नहीं:—

(12) ईकाई का वर्गीकरण— सूक्ष्म ☐ लघु ☐ मध्यम ☐ वृहत ☐

(13) रोजगार सृजनः—

(i) प्रबंधकीय—

(ii) पर्यवेक्षकीय—

(iii) कुशल श्रमिक—

(iv)) अर्द्धकुशल श्रमिक—

(14) **पूँजीगत अनुदान दावा से संबंधित विवरणी एवं आवश्यक कागजातः–**

(i) ईकाई के भूखण्ड की विवरणी–

(a) मौजा का नाम/ थाना नं0–

(b) खाता सं0–

(c) प्लॉट नं0–

(d) रकबा–

(e) चौहद्दीः– उत्तर–
दक्षिण–
पूर्व–
पश्चिम–

(ii) भूमि का मूल्य –

(iii) **अनुलग्नक–** – भूमि के निबंधन डीड की प्रति

(iv) कारखाना/ भवन निर्माण पर किए गए निवेश (विद्युतीकरण सहित) का रजिस्टर्ड भैल्युअर द्वारा मूल्यांकित राशिः–

(v) वेयर हाउसिंग फैसिलिटी निर्माण पर किए गए निवेश का रजिस्टर्ड भैल्युअर द्वारा मूल्यांकित राशिः–

(vi) एफ्लुएण्ट ट्रीटमेंट पलांट निर्माण पर किए गए निवेश का रजिस्टर्ड भैल्युअर द्वारा मूल्यांकित राशिः–

(vii) क्रय की गई संयंत्र एवं मशीनरी का विवरणी (सभी कर सहित)

क्रमांक	मशीन/ संयत्र का नाम	आपूर्तिकर्त्ता कंपनी का नाम	मूल्य
	कुल योग		

नोटः–यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट संलग्न करें या रो बढ़ा लें।

(viii) **अनुलग्नक–** क्रय की गई संयंत्र एवं मशीनरी का इनभायस
– भुगतान का प्रमाणक (बैंक स्टेटमेंट/ मनी रसीद)
– परिवहन चालान
– प्रवेश–कर भुगतान का चालान
– चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रमाणक

(ix) क्रमांक iv से viii तक अनुदान के दावे हेतु निवेश की कुल राशि–

(x) अनुदान की अनुमान्य राशि क्रमांक (ix) का 35% –

(xi) **परीक्षण शुल्क/ गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Control) पर किए गए खर्च का विवरणः–**

(क) गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाण–पत्र निर्गत करने
वाले राज्य के कृषि विश्वविद्यालय का नाम एवं पता–

(ख) गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भुगतान किए
गए शुल्क–

और/ या

(क) गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाण–पत्र निर्गत करने
वाले राज्य के बाहर भारत सरकार
द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का नाम एवं पता–

(ख) गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भुगतान किए
गए शुल्क–

(ग) **अनुलग्नकः–** गुणवत्ता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं
भुगतान किए गए शुल्क का प्राप्ति रसीद

(xii) क्रमांक (xi) के अनुसार अनुदान के दावे हेतु भुगतान की गई कुल राशि–

(xiii) क्रमांक (xii) के अनुसार अनुदान की अनुमान्य राशि 90% या 100%–

(xiv) अनुदानों की कुल राशि (क्रमांक (x) एवं क्रमांक (xiii) का कुल योग):–

घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण एवं तथ्य सही है। यदि इसके बावजूद कोई तथ्य या विवरण गलत/ असत्य पाया जाता है तो इस संबंध में उद्योग विभाग द्वारा लिए गये निर्णय मुझे मान्य होगा। मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि यह अनुदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सहयोगी संस्था से पूर्व में नहीं लिया गया है।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

अन्य आवश्यक अनुलग्नकः–

(प) उद्यमी ज्ञापन– II की प्रति,

(पप) विस्तार/ विशाखन के मामले में विस्तार/ विशाखन की स्वीकृति संबंधी पत्र,

(पप) ईकाई का परियोजना प्रतिवेदन,

(पपप) बिक्री कर क्लियरेन्स प्रमाण पत्र,

(पअ) **शपथ पत्र–** ईकाई द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र कि "कारखाना/ भवन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, एफ्लुएण्ट ट्रीटमेंट प्लांट, संयंत्र एवं मशीनरी, जिसके लिए अनुदान का दावा किया गया है, का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाएगा और ईकाई द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बगैर स्थापना की तिथि से अगले पाँच वर्षो तक बिक्री, हस्तांतरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित सूद सहित उद्योग विभाग को लौटा दूँगा।"